न्यायालयः विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.एक्ट, जालौन स्थान उरई।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–26/2023

सरकार प्रति कसीम उर्फ अडवानी

आरोप

मैं, मौहम्मद कमर, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.एक्ट, जालौन स्थान उरई, आप अभियुक्त **कसीम उर्फ अडवानी** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूॅं:–

यह कि दिनांक 01.03.2023 को समय 20.10 बजे, स्थान छत्रसाल स्कूल के गेट के पास, कस्बा व थाना जालौन, जिला जालौन में आप पुलिस बल द्वारा पकड़े गये, आपकी सहमति के आधार पर आपकी जामा तलाशी के दौरान आपके कब्जे से **31 ग्राम अवैध स्मैक** बरामद हुआ, जिसे रखने के लिए आपके पास कोई वैध अनुज्ञप्ति नही थी। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कार्य किया है, जो कि धारा 21/22 एन0डी0पी0एस0एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनांकः 03.10.2023

(मौहम्मद कमर)
विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.एक्ट,
जालौन स्थान उरई।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने उपरोक्त आरोप से इनकार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांकः 03.10.2023

(मौहम्मद कमर)
विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.एक्ट,
जालौन स्थान उरई।

<u>न्यायालयः विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.एक्ट, जालौन स्थान उरई।</u>

<u>विशेष सत्र परीक्षण संख्या–26/2023</u>

सरकार प्रति कसीम उर्फ अडवानी

<u>दिनांकः 03.10.2023</u>

पत्रावली प्रस्तुत। अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुलिस प्रपत्रों की नकलें प्राप्त की जा चुकी हैं। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त को आरोप के बिन्दु पर सुना।

अभियुक्त कसीम उर्फ अडवानी के विरूद्ध धारा 21/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध प्रथम दृष्टया बनता है और अभियुक्त को उपरोक्त आरोप से आरोपित करने का आधार पर्याप्त है।

अभियुक्त कसीम उर्फ अडवानी को अंतर्गत धारा 21/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट के आरोप से आरोपित किया जाता है। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया तथा अभियुक्त ने उक्त आरोप से इनकार किया व विचारण की मांग की।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत तिथि को पेश हो। अभियोजन साक्षी जरिये सम्मन नियत दिनांक 18.10.2023 हेतु तलब हों।

विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.एक्ट,
जालौन स्थान उरई।